रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1984/कार्तिक 25, 1906
No. 168] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1984/KARTIKA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 68 आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1984

विषय :—अप्रैल, 1984—मार्च 1985 के लिये आयात तथा निर्यात नीति।

मिसिल सं० 6/148/84-ई पी सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 18 आई टी सी (पी एन)/84 दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1984—मार्च 1985 के लिये यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किये गये समझे जायेंगे :—

क्र०सं०	आयात तथा निर्यात नीति 1984-85 (खंड-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	218	परिशिष्ट 17 क्रम० सं० क 7(1)	(1) कालम 3 में वर्तमान "70%" के आंकड़े को "80%" के आंकड़े द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । (2) कालम 5 की टिप्पणी (1) की तीसरी पंक्ति में दर्शाए गये "10%" के आंकड़े को "20%" के आंकड़े द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

एस०आई० त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 68—ITC(PN)/84

New Delhi, the 16th November, 1984.

Subject:—Import & Export Policy for April 1984—March 1985.

File No. 6/148/84—EPC:——Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984—March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18—ITC(PN)/84, dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	218	APPENDIX 17 Sl. No. A.-7(i)	(1) In Column 3, the existing figure "70%" shall be substituted by the figure "80%". (2) The figure "10%" appearing in line 3 of Remark (1) in Column-5 shall be substituted by the figure "20%".

S.I. TRIPATHI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984